

परिपत्र संख्या-विधि-2(1)-आयातित टिम्बर पर प्रवेश कर-123/(12-13)/ 308/ 1213017
प्रेषक,

/ वाणिज्य कर।

कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक :: लखनऊ :: मई 23 ,2012

विषय : दिनांक 13-3-2006 से 31-5-2009 तक की अवधि में व्यापारियों द्वारा भारत के बाहर से आयातित चन्दन की लकड़ी पर देय प्रवेश कर एवं उस पर देय ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-क0नि0-2-384/ग्यारह-2-2012-9(81)/91 टीसी (डी), दिनांक 19-05-2012 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि -

"दिनांक 13-03-2006 से 31-05-2009 तक की अवधि में व्यापारियों द्वारा भारत के बाहर से आयातित चन्दन की लकड़ी पर देय तथा न जमा किया गया प्रवेश कर एवं उस पर नियमानुसार देय ब्याज को माफ कर दिया जाये। माफी का आदेश पारित करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारिक अधिकारी को प्रदान किया जाता है।"

कृपया शासन के उक्त निर्देशों का अनुपालन अपने अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों से कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(एच0एन0राव)

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठा सर्व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 सचिवालय लखनऊ को उनके पत्र संख्या-क0नि0-2-384/ग्यारह-2-2012-9(81)/91 टीसी (डी), दिनांक 19-5-2012 के संदर्भ में।
 - 2- समस्त एडीशनल कमिशनर/ज्वाइन्ट कमिशनर वाणिज्य कर मुख्यालय को उक्त पत्र की एक प्रति सहित प्रेषित।
 - 3- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने सम्बन्ध के व्यापारिक संगठनों/अधिवक्ता संघों को शासन के उक्त निर्णय से अवगत कराने का कष्ट करें।
- संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(एच0एन0राव)

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

संख्या-क0नि0-2- ३८५ /ग्यारह-2-2012-9(81)/ ११टीसी(डी)

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

✓ कमिशनर,
वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

लखनऊःदिनांक: १९ मई, 2012

विषय:- दिनांक 13.3.2006 से 31.05.2009 तक की अवधि में व्यापारियों द्वारा भारत के बाहर से आयातित चन्दन की लकड़ी पर देय प्रवेश कर एवं उस पर देय ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या-570/ग्यारह-2-2006-9(81)/ ११टीसी०डी० दिनांक 13 मार्च, 2006 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 13-03-2006 से भारत के बाहर से आयातित चन्दन की लकड़ी पर प्रवेश कर की वसूली अग्रेतर आदेश तक स्थगित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. शासन की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1045/ग्यारह-9(1)/०८-उ०प्र०अ०८०-३०-०७-आदेश-(46)-2009, दिनांक 29 मई 2009 द्वारा दिनांक 01 जून 2009 से भारत के बाहर से आयातित सभी प्रकार के और सभी वृक्षों के काष्ट और इमारती लकड़ी पर प्रवेश कर समाप्त कर दिया गया। आपके पत्र संख्या-विधि-2-(1)-ई-८-आयातित लकड़ी पर प्रवेशकर-(2006-2007)/1442/वाणिज्यकर दिनांक 09.12.2009 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 13-03-2006 से दिनांक 31-05-2009 तक भारत के बाहर से आयातित चन्दन की लकड़ी पर जब कर की वसूली स्थगित थी तो व्यापारियों द्वारा इसको उपभोक्ता से वसूला नहीं गया है।

3. उपर्युक्त के संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्पर्क विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि दिनांक 13-03-2006 से 31-05-2009 तक की अवधि में व्यापारियों द्वारा भारत के बाहर से आयातित चन्दन की लकड़ी पर देय तथा न जमा किया गया प्रवेश कर एवं उस पर नियमानुसार देय ब्याज को माफ कर दिया जाय। माफी का आदेश पारित करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को प्रदान किया जाता है।

4. कृपया तदनुसार अधीनरथ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।